राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1521/2022 सज्जाद हुसैन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जिला झुंझुनू। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।	06.05.2022	02.05.2022 (अनुलग्नक–1)	श्री सुनील कुमार सिंगोदिया एवं रोहित सैनी, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
2.	2269/2022 जय सिंह	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला झुंझुनू। 2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।	19.07.2022	02.05.2022 (अनुलग्नक–1)	
3.	2270/2022 ओम प्रकाश			02.05.2022 (अनुलग्नक–1)	

आदेश की दिनांक : 03.06.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2269/2022 जय सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से की गई वसूली मय ब्याज वापिस लौटाई जावे एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधानानुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 31.03.1987 को हुई थी, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1987 को कार्यग्रहण किया था। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1989 से स्थायी घोषित किया गया। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 29.09.1997 एवं 30.10.1997 की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 14.10.1997 के द्वारा समायोजित किया गया, जिनका वेतनमान समान था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.7.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की ग्रेड पे 3600 की गई। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए.सी.पी. 4200 की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 4800 ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 27 वर्षीय ए.सी.पी. पर 5400 ग्रेड पे निर्धारित की गई। 18 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 3600 की गई, जिसे दिनांक 01.07.2013 से पुनर्निधारित करते हुये ग्रेड पे 4200 की गई और तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2014 से ग्रेड पे 4800 की गई। अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800 का लाभ प्रदान किया गया। उनका कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 का लाभ दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है और ग्रेड पे 4800 कम करते हुये ग्रेड पे 4200 में निर्धारित कर जो वसूली की गई है, उसे वापिस किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसी तरह अपील संख्या 2492/2021 में भी अपील निस्तारित करते हुये अपीलार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को विचार करते हुये निस्तारण के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2022 के द्वारा अभ्यावेदन को यह कहते हुये निरस्त किया कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन आदेश दिनांक 28.06.2013, 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार प्रारंभिक मूल पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। जबकि अपीलार्थी अधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये आदेशों के अनुसार ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाना विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से की गई वसूली मय ब्याज वापिस लौटाई जावे एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी और वित्त विभाग का पत्र दिनांक 05.07.2013 की अनुपालना में अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान नियमानुसार संशोधित किये गये हैं और ग्रेड पे 3600, 4200 एवं 4800 ही अपीलार्थी को देय हैं, जो नियमानुसार दिये जा चुके हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियम, 1971 के अंतर्गत दिनांक 31.03.1987 को हुई थी और आदेश दिनांक 14.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अपीलार्थी को समायोजित किया गया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उक्त शीर्षक की तालिका में अंकित आलोच्य आदेश को उक्त अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

मूल आदेश अपील संख्या 2269/2022 जय सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य